प्रेस विज्ञप्ति

12.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लखविंदर सिंह से संबंधित लगभग 2.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है, जिसमें13 लाख रुपये की चल संपत्ति और लगभग 2.85 करोड़ रू. की अचल संपत्ति शामिल है। । उन्हें और उनकी फर्म मैसर्स लखविंदर सिंह को धोखाधड़ी के अपराध में शामिल पाया गया जिससे राज्य सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया एवं हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन के माध्यम से धोखाधड़ी से गलत लाभ प्राप्त किया।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में किए गए अनधिकृत खनन के मामले में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस, पीएस ऊना सदर, ऊना द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि लखविंदर सिंह ऊना जिले में मैसर्स लखविंदर सिंह के नाम और शैली में 3 क्रशर इकाइयां चला रहा था। मैसर्स लखविंदर सिंह ने जानबूझकर और बेईमानी से हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के तहत दाखिल किए जाने वाले वैधानिक रिटर्न में वास्तविक उत्पादन की रिपोर्ट न करके छुपाया। वैधानिक बकाया के भुगतान के बिना अवैध खनन और सामग्री की अघोषित बिक्री से राज्य सरकार को धोखा दिया गया और दुरुपयोग किया गया।

ईडी ने अवैध खनन की सीमा निर्धारित करने के लिए उन सभी क्षेत्रों की व्यापक जांच की, जहां ऊना (हिमाचल प्रदेश) में लखविंदर सिंह द्वारा खनन किया गया था। टीम की विशेषज्ञ रिपोर्ट में अत्यधिक और अवैध रेत खनन के मामलों पर प्रकाश डाला गया, जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से कहीं अधिक है।

इससे पहले, ईडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी।

आगे की जांच जारी है।